

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1-5/2018/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उज्जैन जिले की तहसील तराना की सीमाएँ, उसमें से प०ह०नं० 01 से 48 एवं 52 से 54 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प०ह०नं० 01 से 48 एवं 52 से 54 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माकडौन का सृजन करती है, जिसमें कुल 51 पटवारी हल्के और 102 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय माकडौन में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-5-2018-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-5-2018-सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-5/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Tarana of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 and creates a new Tehsil Makdon by comprising of Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 which shall be comprised of 51 Patwari Halkas and 102 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Makdon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HARI RANJAN RAO, Principal Secy.